उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
14-अशोक मार्ग शक्ति भवन(वि०), लखनऊ, 226001

Secretary.cpftrust@uppcl.org   www.uppst.org

संख्या : I/12046/2025 /47/सीपीएफ ट्रस्ट/निनि/2020 दिनांक : 26-05-2025

समस्त आहरण वितरण अधिकारी/नियंत्रणाधिकारी/
समस्त सी0पी0एफ0 अग्रिम स्वीकृर्ता अधिकारिक/
उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।

विषयः- सी0पी0एफ0 अग्रिम भुगतान प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश।

कृपया अवगत कराना है कि कार्मिकों के अग्रिम भुगतान हेतु प्राप्त विभिन्न प्रकरणों में निर्गत कार्यालय ज्ञापों के साथ प्रेषित सम्बन्धित अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त यह संज्ञानित हो रहा है कि ट्रस्ट द्वारा निर्गत नियमों व अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान किये गये आदेशों का अनुपालन पूर्णतया नही किया जा रहा जिससे अग्रिम भुगतान के विभिन्न प्रकरणों में आपत्ति की स्थिति प्रदर्शित हो रही है व अग्रिम हेतु निर्धारित अग्रिम स्वीकृर्ता अधिकारियो द्वारा अग्रिम प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए समस्त अभिलेख जाँच नही की जा रही है। इस कार्यवाही में सरसरी तौर पर अग्रिम स्वीकृर्ता अधिकारियो द्वारा किये जा रहे अनुमोदनों के कारण अग्रिम भुगतान हेतु प्राप्त विभिन्न प्रकरणों को भुगतान योग्य हेतु उपयुक्त नही पाया जा रहा है। ट्रस्ट कार्यालय में ई0आर0पी0/हार्ड कापी के माध्यम से प्राप्त होने वाले सी0पी0एफ0 अग्रिम भुगतान मांगपत्रों की जांच करने पर विभिन्न त्रुटियाँ परिलक्षित होने के कारण उनके सुधार हेतु पत्राचार करने पर कार्मिक को अग्रिम भुगतान धनराशि प्राप्त होने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतएव अग्रिम स्वीकृताधिकारिकों का यह उत्तरदायित्व है कि अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों के सी0पी0एफ0 अग्रिम आवेदन पत्रों के सापेक्ष स्वीकृति प्रदान करते समय निम्न् बिन्दुओं की विशेष रुप से जांच सुनिश्चित् की जाये, जिससे कार्य पूर्ण किये जाने में किसी भी प्रकार का विलम्ब न होः-

1. सी0पी0एफ0 अग्रिम हेतु प्राप्त आवेदन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविश्य निधि नियमावली, 2004 के नियम सं0 39-43 **(छायाप्रति संलग्न)** में प्राविधानित व्यवस्थानुसार है अथवा नही, की जाँच करते हुए अविलम्ब निस्तारित किये जाए।
2. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं समस्त डिस्काम के कार्मिकों के सी0पी0एफ0 अग्रिमों के सापेक्ष ई0एस0एस0 पोर्टल पर स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिकों के बैंक विवरण में खाता धारक का नाम, खाता संख्या एवं विशेष रुप से IFS कोड (जिसके MISMATCH होने पर RTGS धनराशि कार्मिक के खाते में नही जा पाते एवं REVERSAL की कार्यवाही ERP पर करनी पड़ती है) की पुष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं समस्त डिस्काम के कार्मिकों के सी0पी0एफ0 अग्रिमों के सापेक्ष ई0एस0एस0 पोर्टल पर स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व कार्यालय ज्ञाप सं0-1097 दिनांक-30.09.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-41 दिनांक-09.01.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** के द्वारा निर्धारित अग्रिम प्रयोजन से सम्बन्धित प्रपत्र अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। विशेष रुप से

यह देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के लोन REPAYMENT को 42 (1)(B) में अनमोदित कर दिया जा रहा है, जबकि उपयुक्त वांछित प्रयोजन सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नही किये जाते है।

4. उ0प्र0 पावर ट्रांन्समिशन कारपोरेशन लि0 के कार्मिकों के सी0पी0एफ0 अग्रिम मांगपत्रों को सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों/मुख्यालय के माध्यम से ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त बिन्दु सं0 1-2 एवं 3 की पुष्टि कर ली गई है एवं निर्धारित प्रपत्र मांगपत्र के साथ संलग्न है।
5. उ0प्र0 पावर ट्रांन्समिशन कारपोरेशन लि0 के कार्मिकों के सी0पी0एफ0 अग्रिम हेतु धनराशि की मैनुअल गणना की जा रही है, जिससे प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष स्वीकृति योग्य धनराशि में अन्तर दर्शित होता है। अतः अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व कार्मिक के सी0पी0एफ0 खाते मे पिछले वित्तीय वर्ष में अन्तिम उपलब्ध कार्मिक अंशदान तथा चालू वर्ष में लिये गये समस्त अग्रिमों के समायोजन के पश्चात उपलब्ध अवशेष पर नियमानुसार ही अग्रिम की स्वीकृति का अनुमोदन किया जाये।
6. ट्रांसमिशन के प्रकरण हार्ड कॉपी में प्रेषित किये जाते हैं, इसलिए उनकी ट्रस्ट कार्यालय मे प्राप्ति में नार्मल से अधिक समय लगना प्रदर्शित हो रहा है। अत: उ0प्र0 पावर ट्रांन्समिशन कारपोरेशन लि0 के कार्मिकों से सी0पी0एफ0 अग्रिम हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् अग्रिम मांगपत्रों को सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों/मुख्यालय के माध्यम से 2 से 5 कार्यदिवसों मे ट्रस्ट कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कार्मिक की आवश्यकता की पूर्ति तत्काल सम्भव हो सके तथा पत्राचार मे अत्यधिक समय बर्बाद न हो।

उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी0पी0एफ0 योजना से आवरित कार्मिकों के सी0पी0एफ0 खातों के सापेक्ष अग्रिम भुगतान प्रकरणों की स्वीकृति प्रदान करते समय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 2004 मे प्राविधानित व्यवस्थानुसार ट्रस्ट कार्यालय द्वारा पूर्व मे निर्गत आदेशों एवं उपरांकित बिन्दुओं की गहनता से जांच कर सम्पूर्ण अभिलेखों व साक्ष्य के साथ ही प्रकरण ससमय अग्रसारित किया जाए, अन्यथा आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित मांगपत्र के सापेक्ष अपूर्ण अभिलेख होने के कारण अस्वीकृत होने अथवा किसी भी कार्मिक को गलत भुगतान होने अथवा विलम्ब से भुगतान होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपके कार्यालय की होगी।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(अमित रंजन)
सचिव (ट्रस्ट)

पत्र संख्याः /47/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/नि0नि0/2020/तद्दिनाँकः-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त/का0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/ केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
4. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज़, उ0प्र0पा0का0लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट ।
5. उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ
6. उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा),पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/ केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
7. उपसचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट ।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/ दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/ केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
9. अधिशासी अभियंता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

10. लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण-मध्य/उत्तर-पूर्व/दक्षिण-पूर्व/पश्चिम/दक्षिण-मध्य/दक्षिण-पश्चिम, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, लखनऊ/गोरखपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/आगरा।
11. लेखाधिकारी (के0भु0प्र0)/(सी0पी0एफ0),पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/ केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
12. लेखाधिकारी (सा0प्र0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, महानगर, लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान/वेतन एवं लेखा/के0भु0प्र0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. लेखाधिकारी, मुख्यालय भुगतान इकाई, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. समस्त लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. समस्त सी0पी0एफ0 अग्रिम स्वीकृता अधिकारिक (**Approver -1 &2**)।

(अमित रंजन)
सचिव (ट्रस्ट)